संख्या–3701/9–आ–3–72विविध/94(आ.ब.)

प्रेषक,

**जे.एस.मिश्र,**

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**उपाध्यक्षज्ञ,**

विकास प्राधिकरण,

कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, वाराणसी, बाँदा, फैजाबाद,

फिरोजाबाद–शिकोहाबाद, हापुड़–पिलखुआ, झाँसी तथा सहारनपुर।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक–24 सितम्बर,2002

**विषय : नगरों की महायोजनाओं के अन्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद के कार्य–कलापों की समीक्षा बैठक दिनांक 28.8.2002 के कार्यवृत्त का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके मद संख्या–19 के अन्तर्गत यह अपेक्षा की गई है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स का प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकृत प्रस्ताव प्रत्येक दशा में दिनांक 20.9.2002 तक शासन को उपलब्ध करा दिया जाए ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 379/9–आ–3–72–वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा जारी संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 ''प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण/प्रिंटिंग सम्बन्धी निम्न त्रुटियां रह गई थी, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है,

(i) *आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक–1.1 पर एकल आवास को कृषि भू–उपयोग जोन के (कालम–14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को* ***निषिद्ध*** *दर्शाया जाए,*

(ii) *क्रमांक–1.2 पर समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) को कृषि भू–उपयोग जोन के कालम–14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को* ***निषिद्ध*** *दर्शाया जाए,*

(iii) *क्रमांक–6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक–6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू–उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :–*

*निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू–उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को **अनुमन्य** दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में **विशेष अनुमति** से तथा शुद्ध आवासीय में **निषिद्ध** दर्शाया जाए।*

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आवास विभाग के वर्ष 2000–01 के शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में उपर्युक्त त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण कर दिया गया है जिसकी प्रति आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अविलम्ब विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक में अंगीकृत कराने के उपरान्त शासन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**जे.एस.मिश्र**

सचिव।

**संख्या : 3701(1)9–आ–3–72वि0/94 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, वाराणसी, बांदा, फैजाबाद, फिरोजाबाद–शिकोहाबाद,

हापुड़–पिलखुआ, झांसी तथा सहारनपुर, विकास प्राधिकरण, ।

2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

**संजीव कुमार**

विशेष सचिव।